1. संस्थात्मक ढाँचा

राज्य कार्यकारिणी समिति

1.1 आपदा पबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। संबंधित अधिसूचना सं0 1597 दिनांक 25.06.2008 (**अनुलग्नक I पर है**)। यह समिति राज्यस्तर पर पेयजल संकट प्रबंधन कार्यक्रमों का समन्वय करेगी। उक्त समिति पेयजल संकट प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकार के किसी भी विभाग, प्राधिकार या निकाय को आवष्यक निर्देष दे सकेगी।

नोडल विभाग

1.2 मानव पेयजल प्रबंधन का मुख्य कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार मवेषियों के लिए पेयजल प्रबंधन का उत्तरदायी विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। परन्तु पेयजल संकट के गंभीर हो जाने की दषा में संकट प्रबंधन का नोडल विभाग आपदा प्रबंधन विभाग होगा तथा विभाग के प्रधान सचिव/सचिव राज्य स्तर पर राज्य कार्यकारिणी समिति के निदेषों का कार्यान्वयन सुनिष्चित कराने के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे।

राज्य सरकार के अन्य विभाग/संगठन

1.3 पेयजल संकट प्रबंधन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं संगठनों की अहम भूमिका होती है। सभी विभाग अपने–अपने कार्य क्षेत्र में पेयजल संकट प्रबंधन में अपनी भूमिका का निवर्हन करेंगे। जिन विभागों/संगठनों की पेयजल संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, वे हैं :

1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
3. लघु जल संसाधन विभाग
4. नगर विकास विभाग
5. उर्जा विभाग
6. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

7. संबंधित नगर निकाय

आपातकालीन प्रबंधन समूह

1.4 राज्य स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु समय–समय पर आपातकालीन प्रबंधन समूह गठित किया जाता है। आपातकालीन प्रबंधन समूह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होता है जिसमें संबंधित विभागों के सचिव/प्रधान सचिव सदस्य होते है। पेयजल संकट प्रबंधन हेतु आपातकालीन प्रबंधन समूह का गठन निम्नवत् होगाः–

1.	मुख्य सचिव–	अध्यक्ष
2.	विकास आयुक्त–	सदस्य
3.	सचिव/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग–	सदस्य
4.	सचिव/प्रधान सचिव, पषु एवं मत्स्य संसाधन विभाग–	सदस्य
5.	सचिव/प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग–	सदस्य
6.	सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग–	सदस्य
7.	सचिव/प्रधान सचिव, उर्जा विभाग–	सदस्य
8.	अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद–	सदस्य
9.	सचिव/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग–	सदस्य सचिव

आपातकालीन प्रबंधन समूह पेयजल संकट की तीव्रता को देखते हुए समय–समय पर बैठके आयोजित करेगा तथा संकट से निपटने हेतु विभिन्न विभागों की आकस्मिक योजनाओं तथा उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा। आपातकालीन प्रबंधन समूह द्वारा लिये गये निर्णय सभी संबंधित विभागों पर बाध्यकारी होंगे। आपातकालीन प्रबंधन समूह में मुख्य सचिव द्वारा आवष्यकतानुसार किसी अन्य विभाग अथवा संगठन को आमंत्रित किया जा सकेगा।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार

1.5 आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25 (2) के अनुसार राज्य के सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार गठित है। संबंधित अधिसूचना संख्या 1502 दिनांक 13.6.2008 **(अनुलग्नक–II पर संलग्न है)**। उक्त

प्राधिकार पेयजल संकट प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। पेयजल संकट प्रबंधन का निदेष एवं नियंत्रण (कमांड एवं कन्ट्रोल) जिला पदाधिकारी के हाथों में होगा जो राज्य कार्यकारिणी समिति/आपातकालीन प्रबंधन समूह एवं सरकार की नीति, मार्गदर्षन एवं दिषा निर्देष के आलोक में कार्य करेंगे। वे घटना कमांडर (Incident Commander)के रूप में कार्य करेंगे तथा आवष्यक होने पर इस उत्तरदायित्व को जिले के किसी अन्य वरीय पदाधिकारी को भी सौंप सकेंगे। पेयजल संकट से जुड़े हुए विभागों के जिला स्तरीय तथा आवष्यकतानुसार केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेन्सियों के जिला में पदस्थापित पदाधिकारी घटना कमांडर के निदेषानुसार पेयजल संकट प्रबंधन का कार्य करेंगे। इसी प्रकार जिला स्तर के नीचे की तमाम प्रषासनिक ईकाईयाँ, यथा अनुमंडल एवं प्रखंड, अपने–अपने कार्य क्षेत्र में पेयजल संकट प्रबंधन के लिए घटना कमांडर के पर्यवेक्षण एवं दिषा निर्देषन में संबंधित विभागों के कार्यों का समन्वय करेगी।

विभागीय नोडल पदाधिकारी

1.6 कंडिका 1.3 पर अंकित सभी विभाग पेयजल संकट प्रबंधन के लिए किसी वरीय विभागीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करेग। नोडल पदाधिकारी आपातकालीन प्रबंधन समूह तथा राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के अनुपालन तथा पेयजल संकट से निपटने हेतु विभागीय आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर समन्वयक का कार्य करेगा।